न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी :— सोनू कुमार गुर्जर, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 46/2024 प्रारम्भिक निर्णय दिनांकः—07.04.2025

1 श्री रमता पुत्र रूपा जाति लबाना उम्र वयस्क निवासी बांकडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

—वादी

बनाम

1 श्री बिलुराम पिता सता जाति लबाना उम्र वयस्क निवासी बांकडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
2 बन्दी पिता सता जाति लबाना उम्र वयस्क निवासी बांकडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान हाल निवास पति, कंवरजी लबाना निवासी बांकडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
3 गोमती पिता सता जाति लबाना उम्र वयस्क निवासी बांकडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान हाल निवास पति, देवीसिंह लबाना निवासी सज्जनपुरा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
4 भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 53, 92 ए व 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम
व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थितः— वकील श्री कर्तव्य शाह वादी की ओर से।
प्रतिवादीगण के विरूद्ध एफपक्षीय कार्यवाही।

::निर्णय::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी का वर्तमान निवास गांव बांकडा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 गांव बांकडा व प्रतिवादी संख्या 3 गांव सज्जनपुरा में निवास कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का विवाह हो जाने से वर्तमान में अपने पति के साथ में निवास कर रहे है। जिनका पता वाद में दर्शाया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी मौजा बांकडा में खाता संख्या 101, खसरा नम्बर 1, 180, 187, 197, 2, 204, 248, 6 खेत किता 8 कुल रकबा 1.9666 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार एवं पारिवारिक बंटवारे में आयी आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादी अपने पारिवारिक बंटवारे में आयी आराजी में काश्त करने गया तो प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसके परिजन आए और जबरन अनाधिकृत रूप से आराजी में घुसकर सम्पुर्ण आराजी अपनी होना बताकर विवाद करने लगे। जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से अंकित आराजी में अपने हिस्सेनुसार व मौके पर प्राप्त कब्जे व पारिवारिक बंटवारा अनुसार रिकॉर्डेड बंटवारा करने की बात की जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने संतोषप्रद

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

जवाब नहीं दिया। वहीं प्रतिवादी संख्या 2 से 3 अन्यत्र निवास करने से सभी को एकत्रित करना भी मुश्किल है। जिससे रिकॉर्डेड बंटवारा नहीं होने पर भविष्य में और अधिक खातेदार एकत्रित होने से परेशानी का सामना करना पडेगा। जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से मौके व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी का विधिक बंटवारा करने की बात कही तो प्रतिवादी संख्या 1 ने बंटवारा करने को लेकर संतोषप्रद जवाब नहीं देकर संपूर्ण आराजी अपनी होना बताकर एलानिया धमकी दी गई, जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाने आवश्यक है कि प्रतिवादीगण बिना विधिक बंटवारा किये वादग्रस्त आराजी मौजा बांकडा में खाता संख्या 101, खसरा नम्बर 1, 180, 187, 197, 2, 204, 248, 6 खेत किता 8 कुल रकबा 1.9666 हैक्टेयर में वादी के हिस्से जबरन न तो निर्माण कार्य या अतिकमण स्वयं करे, न ही अपने मित्र, एजेन्ट, मजदुरों करावे। वादग्रस्त आराजी कोई हिस्सा विकय, रहन, बक्षीस न करे न ही ऐसा कोई दस्तावेज सम्पादीत करे जिससे राजस्व रिकॉर्ड का कोई हिस्सा हस्तान्तरित माना जावे तथा वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा नहीं करें।

वादी द्वारा पेश वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। सम्मन भेजने पर बाद तामिल होने पर भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए है। प्रतिवादीगण की उपस्थिति नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादी ने अपने समर्थन में लिखित व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।
पीडब्ल्यु 1– वादी रमता पिता रूपा लबाना निवासी बांकड
प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। वकील वादी ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया की वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी मौजा बांकडा में खाता संख्या 101, खसरा नम्बर 1, 180, 187, 197, 2, 204, 248, 6 खेत किता 8 कुल रकबा 1.9666 हैक्टेयर भुमि का मौके पर कब्जे अनुसार ही रिकॉर्ड में अंकित हिस्से के अनुसार बंटवारा कर अलग अलग खाते में कायम किया जाकर खातेदारी अधिकार बंटवारा स्कीम के तहत कानूनी बंटवारा कराया जाकर अलग अलग खाते कायम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेज व साक्ष्य का अवलोकन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी मौजा बांकडा में खाता संख्या 101, खसरा नम्बर 1, 180, 187, 197, 2, 204, 248, 6 खेत किता 8 कुल रकबा 1.9666 हैक्टेयर में मौके व रिकॉर्ड में हिस्सा अनुसार बंटवारा कर अलग अलग खाते कायम किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

::आदेश::

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद डिकी किया जाकर तहसीलदार सीमलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा बांकडा में खाता संख्या 101 खसरा नम्बर 1, 180, 187, 197, 2, 204, 248, 6 खेत किता 8 कुल रकबा 1.9666

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टेयर में मौके पर उपस्थित होकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी किस्म/लोकेशन एवं बुरी से बुरी किस्म/लोकेशन के अनुसार हिस्सा देते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करें। सभी पक्षकारों को नोटिस देकर सूचित कर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तदनुसार प्रारम्भिक डिक्री पर्चा डिक्री कायम हो। निर्णय अनुसार बंटवारा स्कीम तहसीलदार सीमलवाडा से तलब की जाए।

(सोनू कुमार गुर्जर)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 07.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner